(1)

प्रकरण क्रमांक R.5046-दो।17

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट, रीवा,

5046-II।17

रामनरेश पाठक तनय स्व० मथुरा प्रसाद पाठक, उम्र- 65 वर्ष, पेशा खेती, नि० ग्रा० गोविन्दपुर, तह० रामनगर, जिला- सतना ॥म०प्र०॥ Rs30/-

---आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

॥1॥ गया प्रसाद पाठक पिता बल्देव प्रसाद पाठक, नि० ग्रा० गोविन्दपुर, तह० रामनगर, जिला- सतना ॥म०प्र०॥

॥2॥ शासन म०प्र० ------- -----गैर निगरानीकर्ता/अनावेदक

अधि० श्री विकास मिश्रा द्वारा प्रस्तुत। 01-2-17

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त रामनगर, तह० रामनगर, जिला-सतना ॥म०प्र०॥ द्वारा प्रक० क्र०-11/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 20-12-2016.

निगरानी अंतर्गत धारा 50म०प्र०भू०रा०सं० 1959 ई०।

महोदय,

निगरानी आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित हैं:-

॥1॥ यह कि मातहत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि प्रक्रिया एवं नैसर्गिक न्यायसिद्धान्त के विपरीत होने से अपास्त किए जाने योग्य है।

॥2॥ यह कि अनावेदक क्र०-01 द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त रामनगर, तह० रामनगर, जिला- सतना ॥म०प्र०॥ के समक्ष मौजा गोविन्दपुर की आ०नं० 255/2, 256/2 के सीमांकन बावत् कथित आवेदन किस दिनांक को प्रस्तुत किया गया यह मातहत राजस्व निरीक्षक की आदेश पत्रिका से स्पष्ट है। केवल सीमांकन प्रमाणित करने की तारीख 20-12-16 अंकित है। जिसमें सरहद्दी काश्तकारों द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत न करने के कारण कथित आदेश प्रमाणित किया जाना लेख है। जिसके संबंध में स्पष्ट किया जा रहा है कि मातहत

रामनरेश पाठक ...2

(1)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R S046-II/17 जिला सतना

रामनरेश पाठक विरूद्ध गया प्रसाद पाठक

1	2	3
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री विकास मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त रामनगर तहसील रामनगर के प्रकरण क्रमांक 11/अ12/2015-2016 में पारित आदेश दिनांक 20-12-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 25-3-19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	